



पत्र सं०: 8वीं/यू0पी0/05/88/2022/एफ.सी. 174

दिनांक: 09.06.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बाधू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/44699/2020

विषय: कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला मुख मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पट्टरी पर खसरा सं०-10 में मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवैधानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 918/81-2-2023-800(69)/2022, दिनांक-10.04.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-44/81-2-2022-800(69)/2022, दिनांक-25.05.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मंगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त दिनांक 30.05.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारार्थ प्रकरण को Agenda Item No. 5.7 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण के सम्बंध में संज्ञान में आया कि-

- 1- The violation has been committed (as informed by DFO in the meeting) and then the proposal has been submitted.
- 2- Permission for use of forest land for non-forestry purposes has not been granted by a State Authority.
- 3- As informed by the DFO the violation is still in progress.

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बंध में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार निम्नलिखित जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में आगामी कारवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. The DFO needs to immediately stop the unauthorized use of forest land for non-forestry purposes and initiate action in accordance with clause 1.12 (1) of Forest (Conservation) Act Guidelines.
2. Details of person/officials responsible for violation of FC Act, 1980 needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, हाथरस।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
5. मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) आई०ओ०सी०एल० संजय प्लेस, आगरा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-3993/11सी- FP/UP/Approach/44699/2020 दिनांक, लखनऊ, जून 2nd 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय 65/2, संजय प्लेस, आगरा-202002 (यू०पी०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़
पत्रांक 4828/11सी-1, दिनांक 26/06/23.

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

ST Page No. 1697

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय वन संरक्षक

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

वन संरक्षक